

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 316]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 30 जून 2011—आषाढ़ 9, शक 1933

सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 जून 2011

क्र. एफ-3-40-2008-छब्बीस-2.—निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 42 तथा 66 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश के छह वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता योजना, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त योजना में, पैरा 4 में, उप पैरा (घ) का लोप किया जाए.

No. F 3-40-2008-XXVI-2.—In exercise of the powers conferred by Section 42 and 66 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunity, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (No. 1 of 1996), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Assistance to the Multi-disabled and Mentally Undeveloped disabled Persons of Older than Six years Age Scheme, 2009, namely:—

AMENDMENT

In the said Scheme, in para 4, sub-para (d) shall be omitted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीणा तैलंग, उपसचिव.